संख्या-44/ 2021/1542 /77-3-2021-36 (एम)21

प्रेषक,

अनिल कुमार ,
संयुक्त सचिव ,
उ 0 प्र 0 शासन।

सेवा में ,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ,
यूपीडा , पर्यटन भवन , गोमतीनगर ,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 3 लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर, 2021

विषयः-**वित्तीय वर्ष 2021-22** के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कारिडोर परियोजना के आगरा नोड के विकास हेतु जनपद आगरा में डिफेन्स कॉरिडोर के विकास हेतु जलापूर्ति व्यवस्था हेतु रू0 40.77 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4021/यूपीडा/20/डिफेन्स दिनांक 28.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक '' 5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03- राज्य राजमार्ग 337- सड़क निर्माण कार्य 08- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24- वृहद निर्माण कार्य '' मद में प्राविधानित धनराशि रू. 150.00 करोड़ में से अवशेष धनराशि रू0 13061.89 लाख से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के आगरा नोड में डिफेन्स कॉरिडोर के विकास हेतु जलापूर्ति व्यवस्था (एक नग नलकूप , एक नग समर्सेबलपम्प, एक नग आर0ओ0, एक नग पम्प हाउस एवं एक नग रिजरवायर) के लिए रू0 40.77 लाख (रू0 चालीस लाख सहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यो का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/ बी- 1- 1375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या- 2/2021 / बी- 3-138/ दस- 2021-100 (4)/2021 दिनांक 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 07 के लेखाशीर्षक ''5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03- राज्य राजमार्ग 337- सड़क निर्माण कार्य 08- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24- वृहद निर्माण कार्य '' के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-1490-दस-2021-2022 दिनांक 12.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय ,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-44/ 2021/1542(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार ,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय , उत्तर प्रदेश , प्रयागराज।
2. महालेखाकार ,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय , उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी , लखनऊ ।
4. निदेशक , वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय , जवाहर भवन , लखनऊ।
5. निजी सचिव , अपर मुख्य सचिव , औद्योगिक विकास विभाग , उ 0 प्र 0 शासन।
6. वित्त (ई) अनुभाग- 6, औद्योगिक विकास अनुभाग- 2 ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।